फर्द अहकाम

बनाम गुलाब व अन्य

रामफूल

न्यायालय AC-II

संख्या TiMo- 129/2024

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 11/3/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक मंच द्वारा आज कन्सेलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/4/25 को पेश हो।	
		आज दिनांक 9/4/25 [illegible] पेश हुई। अभिभाषक मंच [illegible] कार्य बहिष्कार/[illegible] कारण, न्यायिक कार्य[illegible] नहीं। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हो।	
	02/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी सं. 10 उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. 1 से 9, 11, 12 की तामील जरिए Reg. A/D करवाई गई थी बावजूद सूचना अप्रार्थी सं. 1 से 9, 11, 12 अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी सं. 1 से 9, 11, 12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 10 की बहस T.I. पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय संलग्नात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, प्रार्थीगण [illegible]	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय AC-II रामफूल बनाम गुलाब चंद व अन्य

केस संख्या 1/PN-129/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		के पक्ष में बनता प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को तामील मुलवाद पत्र दिया जाता है की वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 805, 808, 867, 875, 929, कुल किता 5 कुल रकबा 2.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा, पटवार हल्का भूनियावास, तहसील सोगांव जिला जयपुर स्थित के मौका से गांव व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पंजावली फैसल शुमार होकर डिक्री नंबर से क्रम होकर सलफ मुलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 02/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय